

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर ₹0 3600/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on improved techonogy Hyv (Assistant @ Rs. 3600/-acre.) Rabi-2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	110	3.96	88	3.17	22	0.79
2	Bhiwani	130	4.68	104	3.74	26	0.94
3	Hisar	110	3.96	88	3.17	22	0.79
4	Jhajjar	115	4.14	92	3.31	23	0.83
5	Mewat	95	3.42	76	2.74	19	0.68
6	Palwal	105	3.78	84	3.02	21	0.76
7	Rohtak	110	3.96	88	3.17	22	0.79
8	C.Dadri	102.5	3.69	82	2.95	20.5	0.74
	Total	877.5	31.59	702	25.27	175.5	6.32

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में पीला या धारीदार रतुआ प्रतिरोधी किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

पीला या धारीदार रतुआ प्रतिरोधी किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर ₹0 3600/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on Yellow Rust resistant varieties (Assistant @ Rs. 3600/- acre.) Rabi-2023-24							
Sr.No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	110	3.96	88	3.17	22	0.79
2	Bhiwani	130	4.68	104	3.74	26	0.94
3	Hisar	110	3.96	88	3.17	22	0.79
4	Jhajjar	100	3.60	80	2.88	20	0.72
5	Mewat	100	3.60	80	2.88	20	0.72
6	Palwal	110	3.96	88	3.17	22	0.79
7	Rohtak	115	4.14	92	3.31	23	0.83
8	C.Dadri	100	3.60	80	2.88	20	0.72
	Total	875	31.50	700	25.20	175	6.30

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) में गेहूँ में संसाधन संरक्षण ऊर्जा प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

संसाधन संरक्षण ऊर्जा प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर ₹0 3600/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on Resource conservantion machineries/energy management (Assistant @ Rs. 3600/- acre.) Rabi-2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	100	3.60	80	2.88	20	0.72
2	Bhiwani	140	5.04	112	4.03	28	1.01
3	Hisar	100	3.60	80	2.88	20	0.72
4	Jhajjar	130	4.68	104	3.74	26	0.94
5	Mewat	80	2.88	64	2.30	16	0.58
6	Palwal	100	3.60	80	2.88	20	0.72
7	Rohtak	130	4.68	104	3.74	26	0.94
8	C.Dadri	95	3.42	76	2.74	19	0.68
	Total	875	31.50	700	25.20	175	6.30

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में गेहूँ में एकीकृत पोषक प्रबंधन/एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

गेहूँ में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन / एकीकृत गेहूँ प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर रू0 3600/- प्रति एकड सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on Integrated Nutrient Management/ Integrated Weed Management (Assistant @ Rs. 3600/- acre.) Rabi-2023-24							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	90	3.24	72	2.59	18	0.65
2	Bhiwani	95	3.42	76	2.74	19	0.68
3	Hisar	70	2.52	56	2.02	14	0.50
4	Jhajjar	75	2.70	60	2.16	15	0.54
5	Mewat	70	2.52	56	2.02	14	0.50
6	Palwal	75	2.70	60	2.16	15	0.54
7	Rohtak	80	2.88	64	2.30	16	0.58
8	C.Dadri	70	2.52	56	2.02	14	0.50
	Total	625	22.50	500	18.00	125	4.50

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से अधिक के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से अधिक के बीज वितरण पर ₹0 1000/- क्विंटल सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat (distribution of Hyvs Seeds) More than 10 year Rabi-2023-24.(Assistance Rs. 1000 per qtl.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	256	2.56	205	2.05	51	0.51
2	Bhiwani	240	2.40	192	1.92	48	0.48
3	Hisar	240	2.40	192	1.92	48	0.48
4	Jhajjar	220	2.20	176	1.76	44	0.44
5	Mewat	250	2.50	200	2.00	50	0.50
6	Palwal	220	2.20	176	1.76	44	0.44
7	Rohtak	220	2.20	176	1.76	44	0.44
8	C.Dadri	210	2.10	168	1.68	42	0.42
	Total	1856	18.56	1485	14.85	371	3.71

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से कम के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-12-2023 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से कम के बीज वितरण पर ₹0 2000/- विंटल सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat (distribution of Hyvs Seeds)							
Less than 10 year Rabi-2023-24 (Assistance Rs. 2000 per qtl.)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	260	5.20	208	4.16	52	1.04
2	Bhiwani	230	4.60	184	3.68	46	0.92
3	Hisar	280	5.60	224	4.48	56	1.12
4	Jhajjar	250	5.00	200	4.00	50	1.00
5	Mewat	250	5.00	200	4.00	50	1.00
6	Palwal	270	5.40	216	4.32	54	1.08
7	Rohtak	250	5.00	200	4.00	50	1.00
8	C.Dadri	210	4.20	168	3.36	42	0.84
	Total	2000	40.000	1600	32.000	400	8.000

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में सूक्ष्म पौषक तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 कर सकते हैं।

सूक्ष्म पौषक तत्व पर ₹0 200/- एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat (Micronutrients) Rabi-2023-24 (Assistant 200 per acre or 50% of cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	600	1.20	480	0.96	120	0.24
2	Bhiwani	550	1.10	440	0.88	110	0.22
3	Hisar	700	1.40	560	1.12	140	0.28
4	Jhajjar	700	1.40	560	1.12	140	0.28
5	Mewat	650	1.30	520	1.04	130	0.26
6	Palwal	650	1.30	520	1.04	130	0.26
7	Rohtak	650	1.30	520	1.04	130	0.26
8	C.Dadri	500	1.00	400	0.80	100	0.20
	Total	5000	10.00	4000	8.000	1000	2.000

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में पौध संरक्षण रसायन व जैव एजेंट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण रसायन व जैव एजेंट पर ₹0 200/- एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM-Wheat in PP Chemicals & Bio Agents- Rabi 2023-24 (Assistant Rs. 200/- per acre or 50% of cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	650	1.30	520	1.04	130	0.26
2	Bhiwani	700	1.40	560	1.12	140	0.28
3	Hisar	650	1.30	520	1.04	130	0.26
4	Jhajjar	600	1.20	480	0.96	120	0.24
5	Mewat	600	1.20	480	0.96	120	0.24
6	Palwal	600	1.20	480	0.96	120	0.24
7	Rohtak	700	1.40	560	1.12	140	0.28
8	Ch. Dadri	500	1.00	400	0.80	100	0.20
	Total	5000	10.00	4000	8.00	1000	2.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में खरपतवार नाशि पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

खरपतवार नाशि पर ₹0 200/- एकड सामान्य वर्ग / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets of NFSM-Wheat Distribution of Weedicides during Rabi-2023-24 (Assistant Rs. 200/- per acre or 50% of cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	750	1.50	600	1.20	150	0.30
2	Bhiwani	650	1.30	520	1.04	130	0.26
3	Hisar	650	1.30	520	1.04	130	0.26
4	Jhajjar	550	1.10	440	0.88	110	0.22
5	Mewat	750	1.50	600	1.20	150	0.30
6	Palwal	500	1.00	400	0.80	100	0.20
7	Rohtak	500	1.00	400	0.80	100	0.20
8	C.Dadri	650	1.30	520	1.04	130	0.26
	Total	5000	10.00	4000	8.00	1000	2.00

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / महिला किसान / लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि [अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में किसान भाईयों को कृषि उपकरणों के अंतर्गत हस्तचालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरणों के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 600/-रूपये प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements & equipments (Manual Sprayers) under NFSM- Wheat Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 600/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	45	0.27	36	0.22	9	0.05
2	Bhiwani	50	0.30	40	0.24	10	0.06
3	Hisar	50	0.30	40	0.24	10	0.06
4	Jhajjar	50	0.30	40	0.24	10	0.06
5	Mewat	50	0.30	40	0.24	10	0.06
6	Palwal	40	0.24	32	0.19	8	0.05
7	Rohtak	50	0.30	40	0.24	10	0.06
8	Ch. Dadri	45	0.27	36	0.22	9	0.05
	Total	380	2.280	304	1.824	76	0.456

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में किसान भाईयों को कृषि उपकरणों के अंतर्गत मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2024 तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरणों के अंतर्गत मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3000/- रुपये, प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Power Knap sack Sprayer- Capacity above 12-16 lts.) under NFSM- Wheat Rabi 2023-24 (Assistance @ Rs. 3000/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	57	1.71	46	1.38	11	0.33
2	Bhiwani	65	1.95	52	1.56	13	0.39
3	Hisar	65	1.95	52	1.56	13	0.39
4	Jhajjar	60	1.80	48	1.44	12	0.36
5	Mewat	55	1.65	44	1.32	11	0.33
6	Palwal	55	1.65	44	1.32	11	0.33
7	Rohtak	60	1.80	48	1.44	12	0.36
8	Ch. Dadri	55	1.65	44	1.32	11	0.33
	Total	472	14.16	378	11.34	94	2.82

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा